



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

सं०-194-जीए/पाकालि०-12/12-34-जी०ए०/90

दिनांक: 3-5-2012

कार्यालय-ज्ञाप

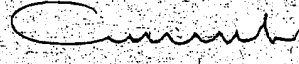
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत कारपोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य दिनांक 01.01.2006 से हुये वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप इनके मूल वेतन में पर्याप्त वृद्धि के दृष्टिगत इनकी वेतन वृद्धि के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से कारपोरेशन आवासों के किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में जारी किये पूर्व परिषद/कारपोरेशन आवासों का अतिक्रमण करते हुये कारपोरेशन आवासों का किराया लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेट रेंट से निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

- सभी कारपोरेशन आवासों के लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेट से रेंट, संलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित किये गये हैं जो दिनांक 01.11.2011 से लागू माने जायेंगे।
लिविंग एरिया निम्न मापदण्ड से निकाला जायेगा:-
 - कमरों, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय, स्टोर तथा बन्द बरामदे के क्षेत्रफल का 100 प्रतिशत
 - बिना बन्द बरामदे, कारीडर्स तथा बरसाती का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत
 - पोर्च, जहाँ हो, के क्षेत्रफल का 12½ प्रतिशत
 - आंगन के पक्का होने की दशा में आंगन के क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत
- जो अध्यासी कारपोरेशन अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्तियों से निर्धारित फ्लैट रेट रेंट की दो गुनी दर पर किराया लिया जायेगा।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटन की दशा में फ्लैट रेट रेंट की दोगुनी दर पर किराया लिया जायेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् मानक किराया एवं बाजार दर तथा 25 प्रतिशत की दर पर किराये की वसूली की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी। कारपोरेशन के जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर वाह्य सेवा में कार्यरत होंगे उनसे वाह्य सेवा की अवधि में फ्लैट रेट रेंट के दोगुनी दर पर किराया लिया जायेगा, जो आवंटी स्वयं प्रतिमाह जमा करेंगे और इस किराये का आधा वे स्वयं वहन करेंगे तथा शेष आधा अपने वाह्य सेवायोजक से प्राप्त करेंगे।
- ऐसे आवास जो किसी अधिकारी विशेष के लिये चिन्हित हैं, जिसमें अधिकारी जाने के लिये विवश हैं, उनको यह विकल्प देना होगा कि वे चाहें तो निर्धारित फ्लैट रेट रेंट पर रहें अथवा वेतन का दस प्रतिशत भुगतान करें।
- अनधिकृत अध्यासन, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 45ए-4 के अधीन बनाये गये सहायक नियम 18 ए(5) में दिया गया है, की स्थिति में फ्लैट रेंट की दस गुनी दर से प्रतिमाह अनधिकृत अध्यासन के लिये क्षतिपूर्ति देय होगी।
- अर्हता श्रेणी से ऊपर का आवास लेने पर फ्लैट रेट रेंट का दोगुना किराये के रूप में देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित फ्लैट रेट रेंट के अतिरिक्त अध्यासी द्वारा, नियमानुसार जलकर, सीवर कर एवं अन्य सम्बन्धित कर उक्त फ्लैट रेट रेंट के अतिरिक्त देय होंगे।
- अध्यासी के अनुरोध पर किसी भी कारपोरेशन आवास में संरचनात्मक प्रकृति का कोई भी परिवर्तन/परिवर्तन सम्बन्धी कार्य सम्पादित नहीं कराया जायेगा, भले ही अध्यासी ऐसे कार्य के लिये अतिरिक्त किराया देने हेतु सहमत हों।

ऐसे अध्यासी जो पूर्व में अपने अनुरोध पर कराये गये कार्य/कार्यों के फलस्वरूप कारपोरेशन आवास का अतिरिक्त किराया दे रहे हैं, उसी दर से अतिरिक्त किराये का भुगतान फ्लैट रेट पर निर्धारित किराये के साथ-साथ करते रहेंगे। यदि ऐसे अध्यासी द्वारा अन्तःराल में आवास रिक्त कर दिया जाता है तो उस आवास के नये आवंटी द्वारा भी आवास से फ्लैट रेट रेंट के साथ-साथ अतिरिक्त किराये का भी भुगतान किया जायेगा।

9. किन्हीं विशेष परिस्थितियों या कारणों, जिनसे पावर कारपोरेशन निदेशक मण्डल संतुष्ट हो और जिनका आदेश में उल्लेख करना आवश्यक होगा, पर उपरोक्त आदेशों में शिथिलीकरण किया जा सकता है।
10. कारपोरेशन के लखनऊ तथा अन्य स्थानों पर स्थित विभिन्न कालोनियों के प्रत्येक श्रेणी के आवासों का इन आदेशों के आधार पर लिविंग एरिया एवं फ्लैट रेट रेट की दरों का विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
11. निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर बिना आवासीय अद्वयता प्रमाण पत्र के पेन्शन/सेवानिवृत्त लाभों का निस्तारण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
12. अनाधिकृत अध्यासियों के दाम्पिक किसयों की कटौती सीधे मासिक पेन्शन देयों से कर ली जायेगी।
13. उपरोक्त आदेश दिनांक 01.05.2012 से प्रभावी होंगे। इन आदेशों के फलस्वरूप परिषदादेश संख्या-777-पी/राविप-तीस/37-पी/88 दिनांक 19.05.1989 अतिक्रमित माना जायेगा।

संलग्न : संलग्नक - एक


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या-194-जीए/पाकालि-12/12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सलाहकार सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव सम्बद्ध निदेशक कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केरको कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता लेवल-1 व 2, उ0प्र0पा0का0लि0।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0।
8. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (सचिवालय-प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0।
11. सूचना पट्ट।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,
वी० सी० गुप्ता
08/5/12
(पी०सी० गुप्ता)
अपर सचिव (का० प्र०-3)

क्र.सं०	लिविंग एरिया (वर्गमीटर में)	प्रस्तावित फ्लैट रेंट (रुपये में) मासिक	विवरण
1.	30 तक	60	शौचालय दो से अधिक आवासों के लिये होने पर
2.	30 तक	90	शौचालय दो आवासों के लिये होने पर
3.	30 तक	150	शौचालय प्रत्येक आवास के लिये अलग होने पर
4.	30 तक	210 टाइप-1	300 वर्गफीट तथा अधिक कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
5.	30 तक	210	350 वर्गफीट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
6.	32 से 40	360	
7.	41 से 50	450 टाइप-2	
8.	34.5	360	425 वर्गफीट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
9.	44 से 55	510	
10.	56 से 65	630 टाइप-3	
11.	59 से 75	690	
12.	76 से 91.5	870	
13.	106 तक	1110 टाइप-4	
14.	106 से अधिक	1260 टाइप-5	
15.	159.5 तक	1560	
16.	159.5 से अधिक	1800	
17.	189.5 से 224.5	2100	
18.	243 से 350	3000	
19.	350.5 से 522	3600	